



प्रेषक,

पनधारी यादव,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र०,

लखनऊ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-70 के अधीन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में आवंटित आय-व्ययक के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी.एस.टी./डी-1254, दिनांक 10.09.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-70 के अधीन मुख्य लेखा शीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-03 राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सहायक अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित आय-व्ययक रु.5200.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय तिमाही की किश्त रु.1300.00 लाख (रुपये तेरह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

- (1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (2) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (3) अनुदान के आहरण बिल के प्रशासकीय विभाग के (उप सचिव/विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र०शासन) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, 30प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तर दायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, 30प्र0 का होगा।
- (6) अवमुक्त धनराशि का सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र दो प्रतियों में व्यय विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (8) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, 30प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (10) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- (11) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अन्तर्गत सहायता अनुदान से सम्बन्धित सामान्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु.1300.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-70 के अधीन मुख्य लेखा शीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-200-अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-03 राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सहायक अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-7-64-X-2026-27, दिनांक 08.10.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पनधारी यादव)

प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- (2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- (7) राज्य योजना आयोग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार सिंह)

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।